न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 05/2023

अनवान : –

1. कमल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट साकिन चक 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री अजय गुरू अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 19/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 34/35 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 148/78 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि जिसका अप्रार्थी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण गांव से चलकर स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख 148/78 के प0न0 292/378 मु0न0 22 के किला न 3/2 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण चलकर अपने खेत के किला न0 8 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 148/78 के प0न0 292/378 मु0न0 22 के किला न0 3/2 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.025 हैक्ट रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवकता प्रार्थीगएर के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पेश किया जाकर [illegible] किया की प्रार्थना पत्र सायलान मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है [illegible] नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:12 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। [illegible]धिवक्ता प्रार्थीगण ने [illegible]पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थीगण गांव से चलकर स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुए अप्रार्थी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 1 के खेत रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख 148/78 के प0न0 292/378 मु0न0 22 के किला न 3/2 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण चलकर अपने खेत के किला न0 8 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 34/35 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 148/78 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि जिसका अप्रार्थी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 खेत पड़ौसी है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायल संख्या 1 की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 के रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख 148/78 के प0न0 292/378 मु0न0 22 के किला न 3/2 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.025 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:12 IST
Reason: SelfAttested